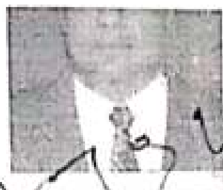

81382

805/2016

उपहार पत्र

1. मालियत उपहार पत्र — स्नेह एवं प्रेम
2. बाजारी मूल्य — 13,03,000/— रूपये
3. कुल स्टाम्प जो दिया गया — 13,100/— रूपये
4. प्रमुख क्षेत्र — मौजा कौलागढ़ मयचक भूड़, परगना पछवादून, जिला देहरादून।
5. भूमि सर्किल दर सूची — नगरीय क्षेत्र पृष्ठ 18 (श्रेणी 8एच) कॉलम—53
5. सम्पत्ति का प्रकार — आवासीय सम्पत्ति
6. स्टाम्प शीट की संख्या — 10

उपहारदाता का नाम व पताः—

1— श्री देवेन्द्र कुमार जैन (PAN No.-ABQPJ9021R) पुत्र श्री लाल चन्द जैन एवं 2— श्री राजीव जैन (PAN No.- ADYPJ5822E) पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जैन निवासीगण—215—ए, साउथ वनस्थली, बल्लूपुर चौक, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

उपहारग्रहिता का नाम व पताः—

श्रीमती लक्ष्मी जैन (PAN No.-AHCPJ0754B) पत्नी श्री राजीव जैन निवासी—215—ए, साउथ वनस्थली, बल्लूपुर चौक, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।

विवरण सम्पत्ति— उपहार पत्र के अन्त में दिया गया है।

Laxmi Jain

Scanned with CamScanner

DOC NO - 805

Date 31/12/15

Laxmi Jain

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 734148

23 NOV 2015

.3.

विदित हो कि निम्नलिखित सम्पत्ति की भूमि अन्य भूमि सहित उपहारदाता सं0–1 एवं उसकी पत्नी श्रीमती शशि प्रभा जैन पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार जैन ने द्वारा विक्रयपत्र दिनांक 27.05.1999 को श्री खुशाल सिंह रावत पुत्र स्व0 श्री दलीप सिंह रावत निवासी–सुन्दरवाला, रायपुर, परगना परवादून, जिला देहरादून से क्रय की थी जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उप निबन्धक देहरादून में बही नं0 1 जिल्द 5 पृष्ठ 318 ए0डी0फा0 बुक नं0 1 जिल्द 849 पृष्ठ 57 से 90 में नं0 1864 दिनांक 31.05.1999 को विधिवत पंजीकृत दर्ज है। उपहारदाता एवं श्रीमती शशि प्रभा जैन का नाम राजस्व अभिलेखों में खाता खतौनी सं0 00054 फसली वर्ष 1421 से 1426 स्थित मौजा कौलागढ़, मयचक भूड़, परगाना पछवादून, जिला देहरादून में बतौर स्वामी दर्ज चला आ रहा है।

विदित हो कि उपहारदाता सं0–1 एवं श्रीमती शशि प्रभा जैन ने भूमि क्रय करने के पश्चात मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून से मानचित्र सं0 1668/99–2000 दिनांक 29.01.2000 स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य किया था।

विदित हो कि उपहारदाता सं0–1 की सहखातेदार अर्थात् उपहारदाता की पत्नी श्रीमती शशि प्रभा जैन ने अपने जीवनकाल में एक अन्तिम इच्छापत्र दिनांक 26.06.2004 को उपहारदाता सं0–2 के हक में निष्पादित एवं सम्पादित किया था। श्रीमती शशि प्रभा जैन उपरोक्त का स्वर्गवास दिनांक 12.04.2008 को स्थान देहरादून में हो गया था और श्रीमती शशि प्रभा जैन के स्वर्गवास के पश्चात् उनके भाग के सम्पूर्ण स्वामी उपरोक्त वसीयत के आधार पर उपहारदाता सं0–2 हुये। इस प्रकार हम उपहारदाता को निम्नलिखित सम्पत्ति उपहार में दिये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

Laxmi Jain

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 734149

विदित हो कि हम उपहारदाता की निम्न वर्णित कुल सम्पत्ति हर प्रकार के भार, बन्धन, रहन, विक्रय, दान, ऋण, जमानत, कुर्की व विवादों आदि से पूर्णतः मुक्त व स्वच्छ है और निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही या वाद विवाद आदि लम्बित व विचाराधीन नहीं है और उपहारदाता को अपनी निम्न वर्णित कुल सम्पत्ति को विक्रय, उपहार आदि करने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त हैं।

विदित हो कि उपहारगृहिता हम उपहारदाता सं0 1 की पुत्रवधु एवं उपहारदाता सं0 2 की पत्नी है और हम उपहारदाता अपनी निम्न वर्णित कुल सम्पत्ति उपहारगृहिता को उपहार में देना चाहते हैं और जब हमने अपनी इस इच्छा व भावना से उपहारगृहिता को अवगत कराया तो उपहारगृहिता, उपहारदाता से हमारी निम्न वर्णित कुल सम्पत्ति उपहार में लेने के लिए तैयार हो गये हैं।

अतः उपहारदाता की निम्न वर्णित कुल सम्पत्ति को उपहारदाता के द्वारा अपनी कुल सम्पत्ति को उपहारगृहिता को उपहार में देने व उनके द्वारा उपहार में लेने हेतु यह उपहार पत्र निम्न शर्तों व नियमों के अन्तर्गत उपहारदाता द्वारा उपहारगृहिता के पक्ष में निम्नानुसार अंकित व निष्पादित किया जा रहा है :—

अतः यह विलेख निम्न व्यवस्थाओं का साक्षी है:—

1. उपहारदाता ने अपने स्वस्थ मन, मस्तिष्क व इन्द्रियों की दशा में बिना किसी के सिखलाये व बहकाये सोच विचार कर अपनी निम्न वर्णित कुल सम्पत्ति, जिसका यथासम्भव विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है व जिसे इस विलेख में आगे चलकर **"उपहार में दी गयी सम्पत्ति"** लिखकर सम्बोधित किया गया है। उपहारगृहिता को आदर व सम्मान के प्रतिफल में उपहार स्वरूप प्रदान कर दी है और उन्हें उपहार में दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी व अधिकारी बना दिया गया है तथा उपहारगृहिता ने उपहार में प्राप्त सम्पत्ति को सहर्ष स्वीकार कर लिया है।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 734150

सहायक कोषाधिकारी ट्रेजरी कोषागार देहरादून
23 NOV 2015

.5.

2. यह कि उपहारदाता द्वारा उपहार में दी गयी सम्पत्ति का वास्तविक एवं मालिकाना कब्जा उपहारगृहिता को आज दे दिया है। उपहारगृहिता को अधिकार होगा कि वह उपहार में दी गयी सम्पत्ति को अपनी इच्छानुसार जिस प्रकार चाहें अपने उपयोग, उपभोग में लायें, स्वयं निवास करें, किराये पर दें, लाभ अर्जित करें विक्रय अन्तरण आदि करें, सम्पत्ति में रद्दोबदल हेतु मानचित्र स्वीकृत करायें, तथा उसमें नव निर्माण आदि करें, जिसमें हम उपहारदाता को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी।

3. यह कि उपहार में दी गयी सम्पत्ति आज की तिथि तक हर प्रकार के भार, बन्धन, कुर्की, रहन, जमानत, वाद विवादों, प्रतिभूति, निजी तथा सरकारी कर्जो, पूर्व विक्रय एवं विक्रय अनुबन्ध आदि से मुक्त एवं स्वच्छ है और इसी अवस्था में हम उपहारदाता द्वारा उपहारगृहिता को उपहार स्वरूप दी गयी है।

4. आज से उपहार में दी गयी सम्पत्ति से हम उपहारदाता का अथवा हमारे अन्य उत्तराधिकारियों, विविध प्रतिनिधियों आदि का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं रह गया है। उपहारगृहिता को अधिकार होगा कि वह उपहार में दी गयी सम्पत्ति पर राजस्व अभिलेखों व नगर निगम, देहरादून में अथवा जहां-जहां आवश्यक हो अपना नाम बतौर स्वामी अंकित करा लें, जिसमें हम उपहारदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. उपहार में दी गयी सम्पत्ति पर आज की तिथि तक देय हर प्रकार के कर, मांग अथवा अन्य किसी प्रकार की देनदारी, बकाया आदि को अदा करने के लिए हम उपहारदाता उत्तरदायी रहेंगे और सदैव समझे जाएंगे परन्तु आज के बाद से देय होने वाले कर, लगान, मांग व देनदारी के लिए उपहारगृहिता स्वयं उत्तरदायी व आभारी होंगी।

Laxmi Jain

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND C 734151

सहायक कोषाधिकारी रोकड़ कोषागार देहरादून 23 NOV 2015

.6.

6. यदि भविष्य में उपहार में दी गयी सम्पत्ति पर अपने स्वामित्व व अधिकारों की पुष्टि हेतु उपहारगृहिता को हम उपहारदाता से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही या लेख, शपथपत्र आदि सम्पादित कराने की आवश्यकता हुई तो हम उपहारदाता प्रत्येक ऐसा कार्य उपहारगृहिता की मांग, पूर्व सूचना व व्यय पर करने के लिए सदैव तत्पर व तैयार रहेंगे।

वांछित विवरण

1. उपहार में दी गयी सम्पत्ति नगर निगम की सीमा के अन्दर स्थित है।
2. उपहार में दी गयी सम्पत्ति मौजा कौलागढ़ मयचक भूड़, परगना पछवादून, जिला देहरादून में मुख्य कौलागढ़ रोड से मुख्य जी0एम0एस0 रोड एवं चकराता रोड से 50 मीटर से अधिक दूरी स्थित है।
3. उपहार में दी गयी सम्पत्ति में भूमि का कुल रकबा 95.26 वर्गमीटर है जिसमें भूतल पर 20 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल है जो सन् 2000 अर्थात् 15 वर्ष पूर्व का निर्मित है।
4. उपहार में दी गयी सम्पत्ति में भूमि की बाजारी कीमत सर्किल रेट लिस्ट के नगरीय क्षेत्र पृष्ठ 18 (श्रेणी 8एच) कॉलम 53 के अनुसार के अनुसार मु0 10,000/- रूपये प्रति वर्ग मीटर है उपहार में दी गयी भूमि में सड़क की चौड़ाई 5 मीटर से अधिक एवं 12 मीटर से कम है इसलिये बेस दर पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये सर्किल रेट के अनुसार भूमि की कीमत मु0 11,500 X 95.26 = 10,96,000/- रूपये तथा 15 वर्ष पुराने निर्माण की कीमत 20 X 12000 X 0.860 (ह्रास 20 वर्ष) = 2,07,000/- रूपये, इस प्रकार

Laxmi Jain

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 734153

सहायक कोषाधिकारी (टेक्स) कोषागार देहरादून 23 NOV 2015

कुल कीमत मु0. 13,03,000/–रूपये बनती है उपहारगृहिता उपहारदाता सं0 1 की पुत्रवधु व उपहारदाता सं0 2 की पत्नी है, जिस पर नियमानुसार 1 प्रतिशत की दर से मु0 13,100/–रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

5. उपहार में दी गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर सम्पत्ति सीमा रोपण अधिनियम के अन्तर्गत धारा 10(3) से 10(5) के अन्तर्गत छूट प्राप्त सम्पत्ति का भाग है।

6. उपहार में दी गयी सम्पत्ति नगर निगम की सीमा के अन्दर स्थित है, जिस पर उत्तरांचल भू अधिनियम 29 वर्ष 2003 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

उपहार में दी गयी सम्पत्ति का विवरण

आवासीय सम्पत्ति अन्तर्गत खाता खतौनी सं0 00054 फसली वर्ष 1421–1426 के भूमि खसरा नं0 4घ रकबा 59.26 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 6च रकबा 36 वर्गमीटर कुल रकबा 95.26 वर्गमीटर, स्थित मौजा कौलागढ़ मयचक भूड़, परगना पछवादून, जिला देहरादून (जिसे वर्तमान में सम्पत्ति सं0 215–ए, साउथ वनस्थली, बल्लूपुर देहरादून के नाम से जाना जाता है) जिसमें भूतल पर 20 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल है। मय छत कि अधिकारों सहित, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग की रेखाओ से दर्शाया गया है, जिसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति की सीमाएं व नाप निम्न प्रकार है :–

पूरब में – अंश में 15 फीट तक 15 फीट चौड़ा रास्ता तत्पश्चात् 25 फीट चौड़ा रास्ता तथा अंश में सम्पत्ति उपहारदाता, सीमा में नाप 41 फीट

पश्चिम में – भूमि अन्य, सीमा में नाप 41 फीट

उत्तर में – सम्पत्ति कर्नल प्रणव शाह, सीमा में नाप 25 फीट,

दक्षिण में – सम्पत्ति उपहारदाता, सीमा में नाप 25 फीट,

Laxmi Jain

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

UTTARAKHAND

C 734154

8.

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिंटस

उपहारदाता सं0 1 का नाम एवं पता : श्री देवेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री लाल चन्द जैन निवासी–215–ए, साउथ वनस्थली, बल्लूपुर चौक, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड ।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

उपहारदाता सं0 1 के हस्ताक्षर

Laxmi Jain

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

C 734155

23 NOV 2015

.9.

उपहारदाता सं0 2 का नाम एवं पता : श्री राजीव जैन पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जैन निवासी–215–ए, साउथ वनस्थली, बल्लूपुर चौक, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड ।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

उपहारदाता सं0 2 के हस्ताक्षर

Laxmi Jain

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

N 157717

कोषागार, देहरादून (उत्तराखण्ड)
05 NOV 2015
निर्गत किया

.11.

अतः यह उपहार पत्र आरम्भ से अंकित तिथि, मास व वर्ष में अंकित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और समय पर उपयोगी सिद्ध हो।

उपहारदातागण के हस्ताक्षर

उपहारगृहिता के हस्ताक्षर

Laxmi Jain

साक्षी 1–
विजेन्द्र कुमार जैन
पुत्र स्व0 श्री जुगमन्दर लाल जैन
निवासी–17 राजा रोड, जैन कालोनी
देहरादून।
पासपोर्ट नं0 K6484667

साक्षी 2–
सुशांत कुमार शाह
पुत्र श्री एस0पी0 शाह
निवासी– 10, अलकनन्दा एन्कलेव
जी0एम0एस0 रोड, देहरादून
VID No. IUA2694693

रचियता– संजीव शर्मा, एडवोकेट, नोटरी पब्लिक, देहरादून, मो0 नं0 9719409693 ।
कम्प्यूटर टाइपिंग– गंगा मीडिया टैक, 12–बी, कोर्ट रोड, देहरादून।

SANJEEV SHARMA
ADVOCATE
UP 5074/86 UA-1524/04

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 जिल्द 6,067 के पृष्ठ 389 से 418 पर क्रमांक 805 पर आज दिनांक 31 Mar 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,द्वितीय
31 Mar 2016

31/03/2016

Scanned with CamScanner

मानचित्र आवासीय सम्पत्ति अन्तर्गत खाता खतौनी सं0 00054 फसली वर्ष 1421–1426 के भूमि खसरा नं0 4घ रकबा 59.26 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 6च रकबा 36 वर्गमीटर कुल रकबा 95.26 वर्गमीटर, स्थित मौजा कौलागढ़ मयचक भूड़, परगना पछवादून, जिला देहरादून (जिसे वर्तमान में सम्पत्ति सं0 215–ए, साउथ वनस्थली, बल्लूपुर देहरादून के नाम से जाना जाता है) जिसमें भूतल पर 20 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल है। मय छत कि अधिकारों सहित।

उपहारदातागण– **1– श्री देवेन्द्र.कुमार जैन एवं 2– श्री राजीव जैन** उत्तर

उपहारग्रहिता – **श्रीमती लक्ष्मी जैन**

उपहार में दी गयी सम्पत्ति लाल रंग की रेखाओं से दर्शायी गयी है।
बिना परिमाप

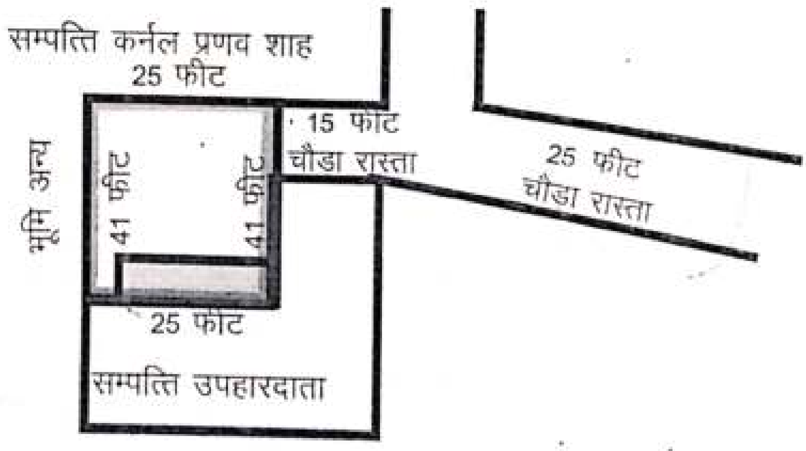

उपहारदातागण

Laxmi Jain
उपहारग्रहिता

Scanned with CamScanner

बही संख्या 1 जिल्द 6,067 के पृष्ठ 389 रो 418 पर क्रगाक 805

पर आज दिनांक 31 Mar 2016 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,देहरादून,द्वितीय
31 Mar 2016

31/03/2016

Scanned with CamScanner